809

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

दस हजार रुपये RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

29 DEC 2008

06AA 445047

लीजडीड

लीजडीड मियाद 30 वर्ष औसत लीजरेन्ट 60,000/- रूपये वार्षिक के 6 गुने अर्थात् अंकन 3,60,000/- रूपये पर स्टाम्प अंकन 14,500/- रूपये का अदा किया गया है तथा मासिक किराया 5,000/- रूपये नियत है।

हम कि पं0 तेजराम चैरिटेबिल ट्रस्ट, 87, नूर नगर, गाजियाबाद द्वारा ट्रस्टी चेयरमैन चमन शर्मा पुत्र श्री बालेश्वर शर्मा, फरीक अव्वल मालिक एवं पट्टादाता।

एवं वैभव इन्सटीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टैक्नोलॉजी, जालखेड़ा, परगना बरन, तहसील व जिला बुलन्दशहर (शाखा पं0 तेजराम चैरिटेबिल ट्रस्ट, 87, नूर नगर, गाजियाबाद) द्वारा सचिव अर्चना शर्मा पुत्री श्री राजेश शर्मा, **IIIrd, K**-41, नेहरू नगर, गाजियाबाद, फरीक दोयम पट्टेदार।

विदित हो कि सालिम एक भवन एवं खाली भूमि जिसका कुल क्षेत्रफल 13,520 वर्ग मीटर, निम्न सीमा सम्बन्धित खसरा नम्बर 402 ग्राम जालखेड़ा, परगना बरन, तहसील व जिला बुलन्दशहर का फरीक अव्वल मालिक, काबिज है,

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

कार्यालय वरिष्ठ कोषाधिकारी 2 FEB 2009 बुलन्दशहर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH E 060919

तथा उपरोक्त क्षेत्रफल 13,520 वर्ग मीटर को फरीक अव्वल मालिक ने बजरिये खरीद बैनामा इकरारी महर्षि विद्या मन्दिर बुलन्दशहर (शाखा महर्षि वेद विज्ञान विश्वा विद्या पीठ्म) रजिस्टर्ड ऑफिस, ए-14, महर्षि हाउस, मोहन कॉपरेटिव इन्डस्ट्रीयल एरिया, नई दिल्ली से दिनांक 06.08.2008ई0 को खरीद किया, जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सबरजिस्ट्रार द्वितीय, बुलन्दशहर में बही नं0 1 जिल्द नं0 1762 के पेज नं0 73 से 162 पर क्रमांक 5040 पर दिनांक 10.09. 2008ई0 को दर्ज होकर हुई है, जिसमें से 10,000 वर्ग मीटर भूमि एवं उसमें निर्मित भवन को फरीक दोयम को किराये पर दिया है तथा शेष 3520 वर्ग मीटर भूमि फरीक अव्वल के कब्जे में ही रहेगी। उपरोक्त भूमि व भवन का मानचित्र इस दस्तावेज के साथ संलग्न है तथा मानचित्र में निर्मित अद्द व कवर्ड ऐरिया दर्शाया गया है। उपरोक्त भवन एवं भूमि आज दिन तक फरीक अव्वल मालिक की ओर से हर प्रकार के बन्धक भार व सरकारी देनदारी आदि से पाक व साफ है, कहीं पर ग्रस्त नहीं है तथा उक्त भवन व भूमि को फरीक दोयम किरायेदार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH E 060920

किराये पर लेना चाहते हैं, जिसके लिये फरीक अव्वल मालिक भी सहमत है। अतः अब फरीक दोयम ने उक्त भवन एवं भूमि को फरीक अव्वल मालिक से अंकन 60,000/- रूपये वार्षिक किराये पर दिनांक 15.01.2009 से वाजिद मुद्दत 30 वर्ष के लिये पट्टे पर लिया है, एवं फरीक अव्वल मालिक ने फरीक दोयम किरायेदार को पट्टे पर दिया है। निम्नलिखित शर्तों की पाबन्दी दोनों पक्ष व वारिसान पक्षकार पर रहेगी।

1- यह कि उक्त निर्धारित लीजरेन्ट दोनों पक्षों को मान्य है, इसमें अन्दर मियाद कमीबेशी करने का अधिकार कोई से पक्ष को नहीं होगा।

2- यह कि उक्त निर्धारित लीजरेन्ट फरीक दोयम किरायेदार मासिक व मासिक यानि हर माह एडवांस फरीक अव्वल मालिक को पेशगी देते रहेंगें एवं रसीद अदायगी लीजरेन्ट लेते रहेंगें, बिना तहरीरी सबूत उजर अदायगी लीजरेन्ट फरीक दोयम पट्टेदार का अमान्य होगा।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

कार्यालय वरिष्ठ कोषाधिकारी बुलन्दशहर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH E 060921

3- यह कि किन्हीं भी लगातार 03 वर्ष का लीजरेन्ट अदा न करने की दशा में फरीक दोयम पट्टेदार का बिले बेदखली के होगा, एवं बकाया लीजरेन्ट को मये खर्चा फरीक अव्वल मालिक को फरीक दोयम पट्टेदार से वसूल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

4- यह कि फरीक दोयम किरायेदार वैभव इन्सटीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टैक्नोलॉजी, जालखेड़ा, परगना बरन, तहसील व जिला बुलन्दशहर उक्त भवन एवं भूमि को क्लासरूम व ऑफिस व ग्राउन्ड व अन्य आवश्यकतानुसार संस्था के प्रयोग में लायेगें तथा फरीक दोयम किरायेदार उक्त भवन एवं भूमि में किसी अन्य संस्था को शिकमी किरायेदार आबाद नहीं करेंगें। यदि शिकमी किरायेदार आबाद करते हैं, तो वह काबिले बेदखली होगा।

5- यह कि उक्त भवन में बिजली कनैक्शन, फोन कनैक्शन नहीं लगा हुआ है या तो फरीक अव्वल मालिक बिजली कनैक्शन लगाकर देगें या फरीक

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 060922

दोयम किरायेदार उपरोक्त कनैक्शन स्वयं संस्था के नाम से ले लेगें, दोनों स्थिति में जो भी खर्चा होगा, उसकी अदायगी किराये से अलग फरीक दोयम किरायेदार करेगें।

6- यह कि फरीक दोयम किरायेदार उक्त भवन एवं भूमि को केवल वैभव इन्सटीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टैक्नोलॉजी, बुलन्दशहर के प्रयोग में लायेगें। वैभव इन्सटीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टैक्नोलॉजी, बुलन्दशहर के अलावा अन्य किसी कार्यो में प्रयोग नहीं करेंगें।

7- यह कि लीजडीड की मियाद दिनांक 15.01.2009ई0 से शुरू होकर 30 वर्ष यानि दिनांक 14.01.2039ई0 तक कायम रहेगी तथा लीज म्याद पूरी होने पर पट्टेदार उक्त भूमि व भवन को खाली कर देंगें।

अतः यह लीजडीड कतई लिख दी कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

कार्यालय वरिष्ठ कोषाधिकारी 2 FEB 2009 बुलन्दशहर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (6) B 661972

<u>सीमा उपरोक्त सम्पत्ति</u> :-

पूरब - भूमि फरीक अव्वल मालिक,
पश्चिम - खाद गोदाम,
उत्तर - जी0 टी0 रोड,
दक्षिण - चकरोड

[illegible] .... [illegible]

गवाह ....[illegible].... गवाह ....[illegible]....

तहरीर तारीख - 03.02.2009

मसौदा निगार - महेन्द्र कुमार दस्तावेज लेखक, रजिस्ट्री दफतर बुलन्दशहर।

टाइप कर्ता - तरून कुमार गर्ग।

क्रम सं. 2858 ब0... 1601
स्टाम्प बं.....से दाखिल किया
2816
6 Aug 2008
रीकॉडिंग कोषागार बुलन्दशहर

अपर कलैक्टर बुलन्दशहर के आदेश दि. 9-9-2008
के अन्तंगत वाद सं 91 सन 2008 सरकार
बनाम श्री चमनशर्मा मौजा- जोलीखेड़ा जिला बुलन्दशहर
बुलन्दशहर प्रमाणित किया जाता है कि
जांच की गई लेखपत्र में अंकित सम्पत्ति
की मालियत उचित है जिस पर उचित
स्टाम्प लगाया गया है
अपर कलैक्टर
बुलन्दशहर
9/9/2008

आज दिनांक **10/09/2008** को

वही सं **1** जिल्द सं **1762**

पृष्ठ सं. **73** से **162** पर कमांक **5040**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

उप निबन्धक द्वितीय
बुलन्दशहर
10/9/2008

रजिस्ट्रेशन अधि० 1903 की धारा-32 ए० के अनुपालन हेतु

फिंगर्स प्रिन्टस

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता नाम व पता श्री विनय शर्मा पुत्र श्री राम कृपाल शर्मा ट्रस्टी डायरेक्टर महर्षि विद्या मन्दिर लिमिटेड [illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/ क्रेता नाम व पता श्री चमन शर्मा पुत्र श्री बाबूराम ट्रस्टी चेयरमैन पंडित नेतराम चैरिटेबल ट्रस्ट शास्त्री नगर मेरठ रोड गाजियाबाद

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता के हस्ताक्षर

सं0 4535 ... 100रू
स्टाम्प सं0 ... से वाजिब लिया
3 FEB 20..
[illegible] बुलन्दशहर

वैभव इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट एण्ड टैक्नोलॉजी जाल रेवड़ी- बुलन्दशहर द्वारा सचिव अर्चना शर्मा W/o श्री राजेश शर्मा स्थान नगर [illegible]।

बही सं0 4536 पृ0 10701
स्टाम्प सं0 4535 में दाखिल किया
3 FEB 2009
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बुलन्दशहर

पट्टा विलेख (30 वर्ष)

प्रतिफल	मालियत	औसत वार्षिक किराया	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग
	60,000.00	5,000.00		40	5,040.00	1,600

श्री /श्रीमती चमन शर्मा, ट्रस्टी चेयरमैन प्रतिनिधि पं0 तेजराज चैरि0 ट्रस्ट
पुत्र / पत्नी श्री बालेश्वर शर्मा
पेशा नौकरी
निवासी स्थायी 87, नूर नगर, गाजियाबाद
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 3/2/2009 समय 3:38PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

उप निबन्धक द्वितीय
बुलन्दशहर
3/2/2009

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त

पट्टा दाता
श्री/श्रीमती चमन शर्मा, ट्रस्टी चेयरमैन
प्रतिनिधि श्री पं0 तेजराज चैरि0 ट्रस्ट
पुत्र/पत्नी श्री बालेश्वर शर्मा
पेशा नौकरी

पट्टा गृहीता
श्री/श्रीमती अर्चना शर्मा, सचिव
प्रतिनिधि श्री वैभव इन्सी0ऑफ मैने0एण्ड टैक्नोलॉजी
पुत्र/पत्नी श्री /पुत्री श्री राजेश शर्मा
पेशा नौकरी
निवासी IIIrd K-41, नेहरु नगर गाजियाबाद

ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिनकी पहचान श्री गुमान सिंह रावत
पुत्र श्री माधो सिंह रावत
पेशा अन्य
निवासी आर-222, नन्दग्राम, गाजियाबाद
व श्री प्रमोद कुमार
पुत्र श्री ओमप्रकाश
पेशा अन्य
निवासी ए-122, सै0 23, गाजियाबाद
ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

उप निबन्धक द्वितीय
बुलन्दशहर
3/2/2009

पट्टा दाता

Registration No 809 Year : 2009 Book No. 1

0101 चमन शर्मा, ट्रस्टी चेयरमैन प्रतिनिधि पं0 तेजराज चैरि0 ट्रस्ट

बालेश्वर शर्मा

87, नूर नगर, गाजियाबाद

नौकरी

क्रम सं0 4538 रू0 1000/-
स्टाम्प सं0 9535 से अंकित किया
3 FEB 2009
बुलन्दशहर

पट्टा गृहीता

Registration No. 809 Year : 2009 Book No. 1

0201 अर्चना शर्मा, सचिव प्रतिनिधि वैभव इन्सी0ऑफ मैने0एण्ड टैक्नो
/पुत्री श्री राजेश शर्मा
IIIrd K-41, नेहरू नगर गाजियाबाद
नौकरी

आज दिनांक 03/02/2009 को

वही सं 1 जिल्द सं 1895

पृष्ठ सं. 1 से 14 पर कमांक 809

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

उप निबन्धक द्वितीय

बुलन्दशहर

3/2/2009

रजिस्ट्रेशन अधि० 1903 की धारा-32 ए० के अनुपालन हेतु

फिंगर्स प्रिन्टस

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता नाम व पता..... चमन शर्मा पत्नी बालेश्वर शर्मा निवासी 87 [illegible] नगर गाजियाबाद

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

[signature] प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/ क्रेता नाम व पता..... श्रीमती अर्चना शर्मा पत्नी श्री राजेश शर्मा निवासी R-5 नेहरू नगर गाजियाबाद

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

[signature] प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता के हस्ताक्षर